लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी.टी.ई.)

डबोक, उदयपुर – 313022 (राजस्थान)

दूरभाष (0294) 2655327

# परिचय

लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना डबोक में तीन अगस्त, 1966 को हुई थी। जब राष्ट्रीय शक्तियाँ विदेशी प्रभुत्व के शिकंजे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्षरत थी, उदयपुर के एक राजनैतिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं रचनात्मक चिन्तन मनीषी पण्डित जनार्दन राय नागर ने मेवाड़ के जनसामान्य को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने के लिए समर्पित किया। इस उद्देश्य से उन्होंने 1937 में तीन विद्यार्थियों और केवल तीन रूपए की अत्यल्प पूँजी से राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की। पं. जनार्दनराय नागर द्वारा लगाया गया वह पौधा आज एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। आज राजस्थान के सुदूर अंचलों में विद्यापीठ की 51 संस्थाएँ और प्रवृत्तियाँ उपेक्षित और निर्धनता की शिकार जनता के जीवन में आशा तथा आलोक का संचार कर रही है।

राजस्थान विद्यापीठ निश्चित रूप से जनता की संस्था है। विद्यापीठ का इतिहास अपने आदर्शों की एक ऐसी यात्रा का इतिहास है जो निरन्तर यातना, कठोर श्रम और संघर्षों में तय की गई हैं। विद्यापीठ सदैव आशाओं पर जीवित रहा है किन्तु इसे प्रायः निराशा एवं भय ही मिले हैं। गहन आर्थिक संकटों से गुजरते हुए अप्रतिम साहस एवं जुझारू प्रवृत्ति द्वारा बाधाओं से लोहा लेते हुए इसने निरन्तर विस्तार एवं नूतन आयाम ग्रहण किए हैं। यही कारण है कि यह महाविद्यालय आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है।

लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन किन्तु साहसिक प्रयास है विद्यापीठ के तीसवें वर्ष में आरम्भ होने वाली यह तीसवीं संस्था है। महाविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम 1966 से, एम.एड. पाठ्यक्रम, 1979 से, बी.एड. (बाल विकास) पाठ्यक्रम, 1989 से, एस. टी. सी.(वर्तमान में डी.एल.एड. के रूप में संचालित है) 2006 से, प्रारंभ किए गये। संप्रति इस महाविद्यालय में पीएच.डी. शोध कार्य की भी सुविधा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रकाशन में महाविद्यालय को 24 फरवरी, 1993 से क्रमोन्नत कर कॉलेज ऑफ टीचर एज्यूकेशन (सी.टी. ई.) का स्तर प्रदान किया गया है। यह महाविद्यालय देश में चलने वाले अनेक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में वृद्धि मात्र नहीं है, वरन् इसकी स्थापना के पीछे विशिष्ट उद्देश्य और मिशन है। ''लोकमान्य शिक्षक'' तैयार करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों से भरपूर है।

आज शिक्षा नियोजक, प्रशासक तथा शिक्षाविद् सभी इस बात से सहमत हैं कि एक अच्छे महाविद्यालय का उत्तरदायित्व अपनी चारदीवारी के अन्दर प्रशिक्षण प्रदान करना मात्र नहीं है। एक अच्छा शिक्षक महाविद्यालय समाज से असम्बद्ध नहीं रह सकता। अतः महाविद्यालय को अपने निकटवर्ती समुदाय के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित करना चाहिए। इस दृष्टि से समग्र अध्यापक शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता है। हमारे महाविद्यालय का उद्देश्य इसी शिक्षा में नेत्तृत्व प्रदान करना है। महाविद्यालय द्वारा नेत्तृत्व के इस सतत् कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक शिविरों, शैक्षिक सामाजिक कार्यों, व्यक्तिगत कठिनाइयों का निराकरण, सहकारी जीवन, क्रियात्मक अनुसंधान, प्रसार भावना, कार्यानुभव एवं समाज सेवा जैसी विविध प्रवृत्तियों के आयोजन के माध्यम से अध्यापक–शिक्षा के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षों के बीच की खाई को पाटने का सतत् प्रयास किया जाता है।

संस्था से निकले हुए स्नातक शिक्षकों से आशा ही जाती है कि वे श्रम के गौरव में निष्ठा रखते हुए अपने देश के दर्शन एवं संस्कृति के अनुरूप राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करेंगे। पं. जनार्दन राय नागर ने कहा है कि ''मैं इस लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को समस्त शिक्षक समुदाय को समर्पित करता हूँ तथा उन्हें लोकमान्य तिलक के आदर्शों को हृदयंगम करने के लिए आमन्त्रित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारा मार्ग संघर्षपूर्ण रहा है और हमारी यह यात्रा भी कठिन रहेगी। किन्तु राजस्थान विद्यापीठ के अस्तित्व के तीसवें वर्ष के इस संबद्ध आलोक में मैं आशा करता हूँ कि इस महाविद्यालय को 'यथा नाम तथा गुण' प्रमाणित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमारा यह अभियान राजस्थान में शैक्षिक क्रान्ति की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।''

12 जनवरी, 1987 से महाविद्यालय राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के एक संघटक महाविद्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। अप्रेल 2005 में ''राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् '' ने इसके मिशन, लक्ष्य एवं कार्य प्रणाली को देखकर इसे **"A"** स्तर प्रदान किया है।

**स्थिति** – यह महाविद्यालय उदयपुर नगर के पूर्व में 19 किलोमीटर दूर स्थित है।

## महाविद्यालय के उद्देश्य

1. शिक्षा के नवीनतम सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों को दृष्टि में रखते हुए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना।
2. भावी शिक्षक में भारतीय परिवेश एवं पृष्ठभूमि में शिक्षा के यथार्थ स्वरूप के प्रति समझ विकसित हो सके और वे अध्यापक की वास्तविक भूमिका को हृदयंगम कर निर्वाह कर सके।
3. विश्वविद्यालय गरिमा के अनुरूप नवीन प्रयोग करना।
4. ऐसे अध्यापक प्रशिक्षित करना जो देश की आवश्यकताओं और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति प्रेम रखते हों।
5. भारतीय शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्शों को प्राप्त करने में शिक्षकों की सहायता करना।
6. भारतीय शिक्षा पर साहित्य तैयार करना और इसे प्रकाशित करना।
7. अध्यापकों में राष्ट्रीय चरित्र का पोषण करना तथा जनतन्त्रीय एवं प्रगतिशील जीवनयापन के लिए राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करना।

## पाठ्यक्रम –

| पाठ्यक्रम का नाम | प्रारंभ का वर्ष | अवधि | योग्यता | उपलब्ध सीट | प्रवेश प्रणाली | आरक्षण एवं छात्रवृत्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पीएच.डी. | 2000 | न्यूनतम 2वर्ष | एम.एड. | नियमानुसार | पूर्व परीक्षा | राज्य सरकार के नियमानुसार |
| एम.एड. | 1978 | 2वर्ष 200+200 कार्यदिवस | बी.एड. | 50 | पूर्व परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय,द्वारा | राज्य सरकार के नियमानुसार |
| बी.एड. | 1966 | 2वर्ष 200+200 कार्यदिवस | स्नातक | 100* | पूर्व प्रवेश परीक्षा पी.टी.ई.टी. | राज्य सरकार के नियमानुसार |
| डी.एल.एड. | 2006 | 2वर्ष | सी.सैकेण्डरी | 50+50 | पूर्व प्रवेश परीक्षा राज्य सरकार द्वारा | राज्य सरकार के नियमानुसार |
| बी.एड. (बालविकास) | 1989 | 2वर्ष 200+200 कार्यदिवस | स्नातक | 100* | पूर्व प्रवेश परीक्षा जरानारावि विश्वविद्यालय उदयपुर | राज्य सरकार के नियमानुसार |

*राज्य सरकार एवं एन.सी.टी. के नियमानुसार।

# शुल्क सम्बन्धी निर्देश

1. सम्पूर्ण शुल्क जमा करवाने पर ही प्रवेश मिल सकेगा।

2. एक बार प्रवेश लेने के पश्चात् किसी भी समय महाविद्यालय छोड़ने पर विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
3. डी.एल.एड., बी.एड., तथा एम. एड., पाठ्क्रमों में शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तद्नुसार शुल्क लिया जाता है।
4. शिक्षक की वास्तविक भूमिका के अनुभव के लिए प्रत्येक को क्षेत्रानुभव कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य हैं। इस गतिविधि में भाग लेना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। भाग न लेने वाले विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूरा न करने के कारण अयोग्य होने से परीक्षा से वंचित रहेंगे।
5. शैक्षिक सामाजिक कार्य के अन्तर्गत वनशाला शिविर का प्रावधान हैं।
6. अमानत राशि (Caution Money) की वापसी आवश्यक बाकियत के जमा खर्च के बाद परीक्षा परिणाम घोषित तिथि से 6 माह से एक वर्ष तक देय होगी। इसके पश्चात् देय नहीं होगी।

# उपस्थिति एवं अवकाश के नियम

1. प्रार्थना सभा तथा प्रत्येक कालांश में समस्त छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। डी.एल. एड. वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक अध्यापन विषय कालांश तथा शारीरिक शिक्षा कालांश में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. प्रतिदिन महाविद्यालय दिनचर्या के आरंभ में प्रार्थना सभा और इसके पश्चात् प्रत्येक कालांश में छात्राध्यापकों की उपस्थिति अंकित की जाती है।
3. अवकाश सम्पूर्ण सत्र में केवल 15 दिन का ही मिल सकेगा। विशेष परिस्थितियों में भी 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में प्रविष्ट होने की स्वीकृति नहीं मिलेगी।
4. व्यावहारिक शिक्षण अभ्यास के दिनों में अवकाश देय नहीं है। फिर भी यदि कोई छात्राध्यापक अवकाश पर जाता है अथवा अनुपस्थित रहता है तो उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का दायित्व स्वयं का होगा।
5. निर्धारित न्यूनतम अभ्यास कार्य की पूर्ति के अभाव में छात्राध्यापक व्यावहारिक शिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।
6. केवल असाधारण एवं नितान्त अनिवार्य परिस्थितियों में ही छात्राध्यापकों–छात्राध्यापिकाओं का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। अवकाश हेतु लिखित प्रार्थना–पत्र पर ट्यूटोरियल प्रभारी की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही छात्राध्यापक उसका उपयोग कर सकेंगे।
7. छात्राध्यापक के सात दिन तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर उसका नाम काट दिया जाएगा, उसको प्राचार्य की अनुमति पर ही पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा। अधिक अनियमितता करने पर कमीश्नर एवं सचिव शिक्षा को सूचित किया जाएगा।
8. जो विद्यार्थी किसी भी प्रश्न पत्र, ट्यूटोरियल, परिषद् कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा में न्यूनतम उपस्थिति अर्जित नहीं कर पाएगा, वह विश्वविद्यालय की परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। वंचित छात्र अगले वर्ष भी नियमित रूप से महाविद्यालय में अध्ययन करने के उपरान्त ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

# विश्वविद्यालय परीक्षा सम्बन्धी सामान्य नियम

बी.एड./बी.एड., (बाल विकास) डी.एल.एड., तथा एम.एड., पाठ्यक्रमों में जो छात्राध्यापक अपरिहार्य कारण से विश्वविद्यालय की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं, वे निम्न नियमानुसार अगले सत्र में होने वाली उसी पाठ्यक्रम की विश्वविद्यालयी परीक्षा में बैठ सकेंगे।

1. केवल विश्वविद्यालयी सैद्धान्तिक परीक्षा शेष हो तथा आन्तरिक सभी कार्य, सत्रीय परीक्षा तथा अभ्यास शिक्षण से सम्बन्धित संपूर्ण कार्य मय प्रायोगिक परीक्षा पूर्ण कर ली हो वे छात्राध्यापक उस पाठ्यक्रम में लगने वाली कुल फीस का एक तिहाई जमा कर विश्व विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त कर विश्व विद्यालय सैद्धान्तिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
2. केवल विश्वविद्यालयी प्रायोगिक परीक्षा शेष हो, तथा आन्तरिक तथा बाह्य सैद्धान्तिक एवं अभ्यास शिक्षण कार्य सम्पूर्ण कर लिया हो वे छात्राध्यापक उस पाठ्यक्रम में लगने वाली कुल फीस का एक तिहाई जमा कर रजिस्ट्रार महोदय की स्वीकृत प्राप्त कर विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
3. ऐसे छात्राध्यापक जिनका अभ्यास शिक्षण से सम्बन्धित सामान्य अभ्यास पाठ, इन्टर्नशिप तथा विश्वविद्यालय प्रायोगिक परीक्षा शेष है वे विश्वविद्यालय की स्वीकृति प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे छात्राध्यापक की सैद्धान्तिक कार्य से सम्बन्धित आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षा पूर्ण होनी चाहिए। कुल शुल्क की वे आधी फीस जमा करवाकर पुनः आपूर्ति कर सकेंगे।
4. ऐसे छात्राध्यापक जिन्होंने सैद्धान्तिक तथा अभ्यास शिक्षण सम्बन्धी आन्तरिक कार्य पूर्ण कर लिये हैं। लेकिन विश्वविद्यालय की सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक परीक्षा में नहीं बैठ पाये हैं। विश्वविद्यालय की स्वीकृति प्राप्त कर उस पाठ्यक्रम हेतु लगने वाली कुल फीस का दो तिहाई फीस जमाकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
5. डी.एल.एड., बी.एड. एवं बी.एड. (बाल विकास) तथा एम.एड. के छात्राध्यापकों के आन्तरिक मूल्यांकन में सैद्धान्तिक जाँच परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले छात्राध्यापकों के डिफाल्टर टेस्ट प्राचार्य की विशेष अनुमति से ही हो सकेंगे।

# सामान्य सूचनाएँ तथा निर्देश

1. महाविद्यालय में शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा किन्तु विद्यार्थी विश्वविद्यालय की बी.एड., एम.एड., बी.एड. (बाल विकास) तथा डी.एल.एड. की सैद्धान्तिक परीक्षाओं में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकेंगे।
2. कोई भी विद्यार्थी महाविद्यालय में अध्ययन करते हुए न तो किसी प्रकार के अतिरिक्त पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकेगा और न ही पूर्णकालीन अथवा अंशकालीन नौकरी कर सकेगा।
3. 3. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के समय प्राचार्य को यह लिखित रूप में देना होगा कि उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ उसके अध्ययन तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार से बाधक नहीं होगी।
4. प्रत्येक विद्यार्थी महाविद्यालय के नियमों तथा समय–समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों की पालना करने के लिए बाध्य होगा। महाविद्यालय के अंतरिम हितों की दृष्टि से आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन को नियमों में संशोधन करने तथा नये नियम बनाने का अधिकार होगा।
5. प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय की ओर से एक परिचय पत्र दिया जाएगा। विद्यार्थियों को चाहिए कि महाविद्यालय तथा सम्पूर्ण संस्था परिसर में इसे गले में लटका कर रखे। अन्यथा उन्हें कभी भी प्रवेश से रोका जा सकेगा बाहर जाते समय भी एक परिचय–पत्र अपने साथ रखें।
6. प्रत्येक विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि यह सैद्धान्तिक अध्ययन हेतु प्रत्येक

प्रश्न–पत्र में कम से कम एक अथवा दो पुस्तकों की व्यवस्था स्वयं करें। भिन्न–भिन्न प्रश्न–पत्रों में उपयोगी पुस्तकों की सूचियाँ सत्रारम्भ में तथा समय–समय पर महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध की जाएगी।

7. बी.एड., बी.एड. (बाल विकास) तथा डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में गर्भवती महिला प्रत्याशी को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में निर्धारित उपस्थिति को पूरा करने में कठिनाई होना स्वाभाविक है।
8. महाविद्यालय के किसी भी प्राध्यापक एवं छात्राध्यापक/छात्राध्यापिका के साथ अभद्र व्यवहार करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

## बैंक

संस्था परिसर में ही स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखा है। विद्यार्थी आवश्कतानुसार बैंक सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

## छात्रावास

1. महाविद्यालय में प्रविष्ट बी.एड. (बाल–विकास) (पुरुष एवं महिलाओं) के लिए छात्रावास की व्यवस्था है।महाविद्यालय परिसर में छात्राध्यापकों/छात्राध्यापिकाओं के अलग–अलग छात्रावास स्थित हैं जो समस्त आवासीय सुविधाओं से सम्पन्न हैं जैसे बिजली, पंखा, शौचालय, स्नानघर, फर्नीचर आदि। इसमें निवास करने वालों छात्राध्यापकों/छात्राध्यापिकाओं को छात्रावास के नियमों–उपनियमों और परम्पराओं का पालन तथा निर्धारित दिनचर्या का अनुसरण करना आवश्यक है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि पूर्णतः अनुशासनबद्ध रहकर वे छात्रावास एवं परिसर में शान्त एवं शालीनता पूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग करेंगे। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास के नियमों का अनिवार्यतः पालन करना होगा।
2. छात्रावास में ही संयुक्त सर्वथा शाकाहारी भोजनालय है जहाँ निश्चित समय पर छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं को दोनों वक्त भोजन कक्ष में ही भोजन उपलब्ध होता है। इस हेतु महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त, चाय, अल्पाहार आदि की सुविधा भी है। जिसके लिये निर्धारित दर के अनुरूप भुगतान अतिरिक्त देय होगा।
3. समय–समय पर छात्रावास में साहित्यिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है।छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं से इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं के अभिभावकों से यह वांछनीय होगा कि वे उनसे कम से कम सम्पर्क करें, जहाँतक संभव हो, मिलने की सूचना भी दें।

## पुस्तकालय एवं वाचनालय सुविधा

छात्राध्यापकों के लाभार्थ महाविद्यालय का अपना पुस्तकालय है हमारा यह विकासमान पुस्तकालय उपयोगी ग्रंथों 19795 का संग्रह है। नियमित रूप से नियमानुसार पुस्तकों का आदान–प्रदान किया जाता है। पुस्तकालय में संयुक्त वाचनालय, सामयिक रुचि की विभिन्न विषयाधारित एवं विशेष रूप से शिक्षा जगत से सम्बन्धित पत्र–पत्रिकाओं से सुसज्जित है। प्रत्येक पाठक को पुस्तकालय में प्रवेश के समय द्वार पर प्रवेश पंजिका में समय, नाम, निर्गम, आगम, पाठ्य सामग्री एवं हस्ताक्षर साफ अक्षरों में अंकित करने हैं। तथा पुस्तकालय के नियमों की पालना करना अनिवार्य हैं। प्रवेश के समय पुस्तकालय के नियम उपलब्ध करा दिये जाते हैं।

## शैक्षिक–सामाजिक कार्य

शैक्षिक–सामाजिक कार्य का महाविद्यालय की विशिष्ट प्रवृत्तियों में प्रमुख स्थान है। शैक्षिक–सामाजिक कार्य का सैद्धान्तिक ज्ञान एवं प्रायोगिक अभ्यास अध्यापक के व्यावसायिक जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षक के चरित्र व कार्य शैली को अपेक्षित दिशा में मोडने की दृष्टि से भी यह प्रवृति अपरिहार्य सिद्ध हुई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक स्नातक शिक्षक के लिए समुदाय के सदस्यों के साथ सभी स्तरों पर घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित करने के उद्देश्य से गांवों में जाकर रहना व कार्य करना आवश्यक होगा। इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिये प्राध्यापकों का मार्गदर्शन मिलता है। शैक्षिक सामाजिक कार्य में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए लगभग 80 घण्टे कार्य करना आवश्यक है। प्रायोगिक कार्य की नियमितता व गुणवत्ता के अनुरूप उत्तीर्ण छात्रों को ग्रेड दिये जायेंगे। 40 अंक प्रायोगिक कार्य के लिए नियत रहेंगे। यह प्रायोगिक परीक्षा आन्तरिक होगी।

## योग शिक्षा पाठ्यक्रम

बी.एड तथा बी.एड (बाल विकास) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राध्यापकों को अपने प्रशिक्षण के साथ साथ योग का सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक अभ्यास भी करवाया जाता है। समय विभाग चक्र में योग हेतु विशिष्ट कक्षाओं को भी ध्यान दिया हुआ है। सत्र के अन्त में इनकी सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परिक्षाएँ आयोजित की जाती है जिसके फलस्वरूप प्रशिक्षणार्थियों को योग शिक्षा पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

## व्यक्तिगत निर्देशन कार्यक्रम

इस विशिष्ट प्रश्न पत्र के प्रायोगिक कार्य की आंशिक पूर्ति हेतु विद्यार्थी विवरण पुस्तिका का संधारण प्रायोगिक विद्यालय में किया जाता है। उक्त पुस्तिका में प्रायोगिक विद्यालय के छात्र/छात्राओं का विस्तृत विवरण रखा जाता है। उस विवरण के आधार पर निर्देशन एवं परामर्श देकर बालक की गुणवत्ता में वृद्धि एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। बी.एड. के छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं द्वारा श्रीमन्नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र/छात्राओं को तथा बी.एड. (बाल विकास) के छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं द्वारा ओपन चाइल्ड डेवलपमेंट सेन्टर के नन्हें–मुन्ने बालकों को उत्कृष्ट स्तर पर परामर्श एवं निर्देशन प्रदान किया जाता है। इस विवरण पुस्तिका में परिचयात्मक विवरण, पारिवारिक, परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन, आय के स्त्रोत, विद्यार्थी के विगत तीन सत्र (अध्ययन) का शैक्षिक विवरण, पाठ्येत्तर प्रवृत्तियाँ तथा निर्देशन की आवश्यकता बिन्दु इत्यादि समाहित हैं।

## वनशाला शिविर

यह पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। शैक्षिक सामाजिक कार्य की प्रतिपूर्ति हेतु समुदाय के विभिन्न पक्षों पर सर्वे,समाज सेवा एवं सेवा प्रसार कार्यक्रम के लिए 5 से 7 दिन का शिविर आयोजित होता है। जिसमें सम्पूर्ण महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में प्रस्थान करेगा। इस कार्य हेतु सभी छात्राध्यापकों को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित भोजन शुल्क देना होगा।

## व्यक्तिगत मार्गदर्शन तथा संशिक्षकीय कक्षाएँ

प्रशिक्षणाधीन स्नातक शिक्षकों को संशिक्षकीय (Turorial) कार्य के लिए छोटे–छोटे समूहों में विभक्त कर दिया जाएगा, जहाँ वे अपने प्रभारी प्राध्यापकों से सैद्धान्तिक एवं शिक्षण अभ्यास के कार्य से सम्बन्धित कठिनाइयों पर चर्चा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त इन कक्षाओं में शैक्षिक समस्याओं पर परिसंवाद, पत्रवाचन, भाषण आदि गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्नातक शिक्षक के लिए इन कक्षाओं से सत्रीय कार्य मार्ग दर्शन की व्यवस्था रहेगी। जिसे

निर्धारित तिथि तक पूरा कर प्रभारी प्राध्यापक को सौंपना होगा।

## तिलक आसन व्याख्यानमाला

'तिलक' आसन व्याख्यानमाला के अन्तर्गत प्रतिवर्ष किसी राष्ट्रीय अथवा अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद् के द्वारा शिक्षा के नवीन आयाम पर व्याख्यान तथा परिचर्चा आयोजित की जाती है।

## क्षेत्रानुभव शिक्षक अभ्यास कार्यक्रम

स्नातक शिक्षकों को समुदाय केन्द्रित शिक्षा एवं सामाजिक सहभागिता के प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने की दृष्टि से दो सप्ताह का क्षेत्रानुभव शिक्षक अभ्यास कार्यक्रम उदयपुर तथा इसके निकटवर्ती जिलों के ग्रामीण विद्यालयों में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में होने वाले भोजन व्यवस्था हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को नियमानुसार अतिरिक्त भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है। इस कार्यक्रम सम्मिलित होना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है किसी भी स्थिति में इस कार्यक्रम से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। अनुपस्थित विद्यार्थी बी.एड./बी. एड. (बाल विकास) की वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे।

## शैक्षणिक भ्रमण

विद्यार्थियों को शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष एक शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में किसी कार्य दिवस का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

## पुरातन छात्र परिषद्

महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों की पूर्ति के लिए पुरातन छात्र परिषद् की स्थापना की गई है। कार्य गोष्ठियों, सभाओं, सेवारत अध्यापकों के लिए उपयोगी अनेक कार्यक्रमों, महाविद्यालय के विविध समारोहों के माध्यम से भूतपूर्व छात्रों से निरन्तर सम्पर्क बनाने की भी योजना है।

## श्रव्य–दृश्य प्रयोगशाला

महाविद्यालय के श्रव्य–दृश्य विभाग द्वारा शिक्षण अभ्यास हेतु छात्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों की आवश्यकतानुसार विभाग से श्रव्य–दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। विभाग में अच्छी संख्या में चार्ट, प्रतिमान, लपेटफलक, मानचित्र ओ.एच.पी., स्लाइड प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, टी.वी. टेपरिकॉर्डर आदि उपलब्ध हैं। इनका प्रयोग छात्राध्यापक एवं शिक्षक सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास, शिक्षण अभ्यास, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित प्रायोगिक कार्य के लिए करते हैं। इन सभी का कक्षा में उपयोग करने का प्रशिक्षण पूर्व में प्रदान कर दिया जाता है।

## मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला

महाविद्यालय में स्थापित मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में बुद्धिलब्धि, समायोजन, सर्जनात्मकता, अभिरुचि, अभिवृत्ति, मूल्यों आदि के मापन के लिए शाब्दिक एवं अशाब्दिक मानक परीक्षणों की व्यवस्था उपलब्ध हैं। यह प्रयोगशाला, स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध व अन्य विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक परीक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के निर्देशानुसार बी.एड. का प्रत्येक छात्राध्यापक तीन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रशासन, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन लेखन करता है। साथ ही उन्हें अधिगम से सम्बन्धित प्रयोगों का अभ्यास भी कराया जाता है। एम.एड. एवं पीएच.डी. के छात्रों द्वारा प्रयोगशाला का उपयोग शोध कार्य के लिए किया जाता है।

## कम्प्यूटर लेब

महाविद्यालय में 40 कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट सुविधायुक्त लेब उपलब्ध है। प्रत्येक छात्र को कम्प्यूटर शिक्षा में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कार्य का वृहत् शिक्षक–प्रशिक्षण दिया जाता है।

## स्मार्ट कक्षा–कक्ष

म्हाविद्यालय में नवीन उपकरणों से सुसज्जित स्मार्ट कक्षा कक्ष उपलब्ध है। एम.एड., बी.एड., बी.एड. (बाल विकास) एवं डी.एल.एड. पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को इसके माध्यम से भी शिक्षक कार्य करवाया जाता है। इसमें 60 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है। सी.टी.ई.योजनान्तर्गत आयोजित सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षक भी इस कक्षा कक्ष से लाभान्वित होते हैं एवं नवीनतम तकनीकी संचालन करना सीखतें है।

## शैक्षिक–प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला

छात्राध्यापकों को शैक्षिक तकनीकी में दक्ष करने हेतु प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की सुविधा है। जिसमें पर्याप्तसंख्या में ओ.एच.पी., स्लाइड प्रोजेक्टर, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, मास कम्यूनिकेशन उपकरण, डी.वी.डी. प्लेयर, टी.वीसेट, टेप रेकॉर्डर आदि उपलब्ध हैं।

## विषय परिषद्

विषय को गहनता से समझाने, रुचि जागृत करने हेतु महाविद्यालय में विषय परिषदों का गठन किया जाताहै। महाविद्यालय में 6 विषय परिषदें गठित की जाती हैं–

(1) भौतिक विज्ञान, गणित परिषद्
(2) जीव विज्ञान परिषद्
(3) इतिहास, नागरिक शास्त्र परिषद्
(4) अर्थशास्त्र, वाणिज्य परिषद्
(5) भाषा परिषद् तथा
(6) भूगोल सामाजिक परिषद्।

इन परिषदों में विषय विशेष की वार्ताएँ, भित्ती पत्रिका तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, शैक्षिक भ्रमण, क्विज, विभिन्न दिवसों का आयोजन आदि कार्यक्रम भी होते हैं।

## खेलकूद

खेल, स्पोर्टस तथा शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय के समग्र शैक्षिक अनुभव का अंग है। महाविद्यालय में प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें छात्र वर्ग में वॉलीबॉल, फूटबॉल, क्रिकेट, बेडमिन्टन,टेबल–टेनिस, एथेलेटिक्स की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, वहीं छात्रा वर्ग में बेडमिन्टन, टेबल टेनिस,ऐथेलेटिक्स, रिंग प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती है। अतः इनके सम्बन्धित प्रवृतियों में भाग लेना प्रत्येक स्नातक शिक्षक के लिए अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर स्पर्धाएँ आयोजित की जाती हैं जिसमें महाविद्यालय के विद्यार्थी भी भाग लेते हैं। बोर्ड ऑफ स्पोर्टस द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं, इसमें 12 टीमें भाग लेती हैं, उसमें महाविद्यालय की ओर से एक टीम सम्मिलित होती है। विजेता एवं उपविजेता टीम को विश्वविद्यालय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। जिसमें श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन कर अन्तः विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भेजा जाता है।

## प्रकाशन

प्रत्येक स्नातक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने ट्यूटोरियल के प्रभारी प्राध्यापक के निर्देशन में एक मौलिक रचना लिखकर दें। ये रचनाएँ उपयुक्त पाये जाने पर महाविद्यालय की

प्रकाशन योजना के अन्तर्गत प्रकाशित वार्षिक पत्रिका 'संभावना' में प्रकाशित की जायेगी। संभावना छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं द्वारा वर्ष पर्यन्त महाविद्यालय में हुई गतिविधियों, प्रवृत्तियों का लेखा–जोखा है।

## सी.टी.ई. योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक को सेवारत शिक्षा प्रसार, शोध कार्य एवं लेब एरिया में विशिष्ट कार्यक्रम करने हेतु सी.टी.ई. का विशेष दर्जा 1993 में प्रदान किया था। दक्षिणी राजस्थान के 6 जिलों डुंगरपुर, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, सिरोही तथा भीलवाड़ा जिलो मे कार्यरत द्वितीय श्रेणी के शिक्षक विभिन्न विषयों में सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस प्रायोजना के तहत शिक्षकों को थीम आधारित विषयों जनसंख्या शिक्षा, केरियर निर्देशन, तकनीकी एवं कम्प्यूटर शिक्षा, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, आपदा प्रबन्ध, पुस्तकालय शिक्षा, दृश्य श्रव्य तकनीकी एवं क्रियात्मक अनुसंधान पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 430 कार्यशालाओं में 5700 शिक्षक लाभान्वित हो चुके हैं। महाविद्यालय के अकादमिक सदस्य विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में उनकी आवश्यकता के आधार पर शोध कार्य भी करते हैं विद्यालयी क्षेत्र में अभी तक 31 प्रायोजनाएँ सम्पादित हो चुकी हैं। महाविद्यालय के 8 कि. मी. की परिधि में आने वाले विद्यालयों यथा श्रीमन्नारायण सी. से. स्कूल, डबोक, रा.सी. मा. वि. (छात्र) डबोक, रा.बा.मा.वि. डबोक (छात्रा) तथा रा.सी.मा.वि., देबारी को इस महाविद्यालय का लेब ऐरिया माना गया है जहाँ विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

## जनुभाई रोवर क्रू

जनुभाई रोवर क्रू महाविद्यालय के बी.एस.टी.सी. (वर्तमान में डी.एल.एड. के रूप में संचालित) विभाग में सन् 2010 से संचालित है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों में पर्यावरण संरक्षण, आत्मसम्मान, अनुशासन, सामुदायिक सहभागिता एवं सामयिक समरसता विकसित करने के लिए प्रयासरत है।

## स्काउट इको क्लब

स्काउट इको क्लब के तहत क्रमशः पौध–रोपण, चुग्गा–दाना एवं पानी परिण्डा बांधने के साथ–साथ प्रशिक्षणार्थियों के चहुँमुखी विकास के कार्यक्रम आयोजित किए जाते है।

## सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिताएँ

प्रशिक्षणार्थियों के सर्वांगीण विकास को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु महाविद्यालय में समय–समय पर सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

## लोकमान्य शिक्षक पत्रिका (**ISSN 0975-4636**)

महाविद्यालय का प्रकाशन विभाग गत 42 वर्षो से अनवरत रूप से 'लोकमान्य शिक्षक' नामक संपत्रिका का प्रकाशन करता रहा है सन् 1967 से 2008 तक यह पत्रिका वार्षिक

रूप से प्रकाशित की जा रही है इसमें शिक्षा के विभिन्न आयामों से सम्बन्धित आलेख प्रकाशित किये जा रहे है। सन् 2009 से इस पत्रिका को अर्द्धवार्षिक बनाया गया है इसमें शिक्षा के विविध आयामों से सम्बन्धित आलेख प्रकाशित किए जाते है इस संपत्रिका की गुणात्मकता एवं अनवरत प्रकाशन को देखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय एवं राष्ट्रीय ISSN, NIS CAIR केन्द्र ने इस संपत्रिका को ISSN बनाया है इसके ISSN 0975-4636 है।

| अकादमिक | | | | मंत्रालयिक | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. शशि चित्तौड़ा | 9414785706 | | श्री बलवन्त सिंह चौहान | 9785407775 |
| 2 | डॉ. सरोज गर्ग | 9414812900 | | श्री प्यारेलाल नागदा | 9799958720 |
| 3 | डॉ. देवेन्द्रा आमेटा | 9460575290 | | श्री सवाराम डांगी | 9214543815 |
| 4 | डॉ. प्रेमलता गांधी | 9414471390 | | श्री रमेश प्रजापत | 9829478020 |
| 5 | डॉ. रचना राठौड़ | 9414472016 | | श्री राकेष कोठारी | 9928147367 |
| 6 | डॉ. बलिदान जैन | 9414272672 | | श्री संजय गॉधी | 9782188084 |
| 7 | डॉ. भूरालाल श्रीमाली | 9460693771 | | श्रीमतीअनिता पंचोली | 9461180053 |
| 8 | डॉ. अमी राठौड | 9829302820 | | श्री धर्मनारायण सनाढ्य | 9672067231 |
| 9 | डॉ. सुनीता मुर्डिया | 9829030058 | | | |
| 10 | श्रीमती वृन्दा शर्मा | 9282626493 | | | |
| 11 | डॉ. अनिता कोठारी | 9460082638 | | | |
| 12 | डॉ. शाहिद हुसैन कुरैशी | 9414736615 | | | |
| 13 | श्रीमती संतोष लांबा | 9351350821 | | | |
| 14 | श्री अमित बाहेती | 9829152442 | | | |
| 15 | डॉ. सरिता मेनारिया | 9462192361 | | **सहायकगण** | |
| 16 | डॉ. अपर्णा श्रीवास्तव | 9460856658 | | श्री हीर सिंह राजपूत | 9460113934 |
| 17 | डॉ. हरीश मेनारिया | 9413752518 | | श्रीमती गोपी वेष्णव | 9530084219 |
| 18 | डॉ. हरीश चन्द्र चौबीसा | 9460701033 | | श्री कन्हैया लाल डांगी | 9799478324 |
| 19 | डॉ. अमित कुमार दवे | 9414567296 | | श्री वालाराम डांगी | 9950392717 |
| 20 | श्री पुनीत पण्ड्या | 9460581224 | | श्री मांगीलाल माली | 9829210030 |
| 21 | श्री हिम्मत सिंह चुण्डावत | 9414687301 | | श्रीमती कैलाश कुवँर | 9636413078 |
| 22 | डॉ. रेणु हिंगड़ | 9468579257 | | श्री खेमा डांगी | 9680405828 |
| 23 | श्री दीपेश भट्ट | 9610382667 | | श्री मोहनलाल सुथार | 9694702339 |
| 24 | श्रीमती ममता कुमावत | 8107097934 | | श्री पुष्कर हरिजन | 9829489323 |
| 25 | डॉ. ललित श्रीमाली | 9461594159 | | श्री भगवान लाल डांगी | 9680445854 |
| 26 | श्री रोहित कुमावत | 9252534637 | | श्री रोड़ीलाल डांगी | 7727064617 |
| 27 | श्री महेन्द्र कुमार वर्मा | 9928973156 | | श्री वालुराम डांगी | 9829279410 |
| 28 | श्री तिलकेश आमेटा | 9414825317 | | श्रीमती माया हरिजन | 8769007554 |
| 29 | श्री पल्लव पाण्डे | 9413026648 | | श्रीमती उषा सुथार | 9610015346 |
| 30 | श्रीमती रोमा भंसाली | 9414212306 | | श्री ब्रज बिहारी पण्ड्या | 9784834005 |
| 31 | श्रीमती गुणबाला आमेटा | 9166597929 | | श्री शंकर हरिजन | 9950390572 |
| 32 | श्रीमती भव्या हिंगड़ | 9649217005 | | श्रीमती सलमा बानू | 9784262597 |
| 33 | श्रीमती सुधा श्रीमाली | 7737788669 | | | |
| 34 | श्रीमती अंजली दशोरा | 9414229666 | | | |
| 35 | श्री सुभाष पुरोहित | 9928973156 | | | |
| 36 | श्री मिनेश भट्ट | 9462938435 | | | |
| 37 | श्रीमती इंदुबाला आचार्य | 9928020166 | | | |